बिल का सारांश

टैक्सेशन कानून (संशोधन) बिल, 2016

- टैक्सेशन कानून (संशोधन) बिल, 2016 को लोकसभा में 10 अगस्त, 2016 को पेश किया गया। यह बिल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 और कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है। बिल में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं।.

इनकम टैक्स एक्ट, 1961

- **सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का असंबद्ध होना (डीमर्जर)** : कंपनी एक्ट, 1956 कंपनियों को कई कंपनियों में डीमर्ज (अलग-अलग) होने की अनुमति देता है। डीमर्जर के परिणाम स्वरूप पेरेंट कंपनी की आय, व्यय और लाभ रिजल्टेंट (डीमर्जर के बाद बनने वाली) कंपनियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 रिजल्टेंट कंपनियों के टैक्सेशन के लिए पेरेंट कंपनी से होने वाले ट्रांसफर को ध्यान में रखता है। बिल स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान तभी लागू होंगे जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी डीमर्ज होगी और रिजल्टेंट कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं होगी।
- **नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती**: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 व्यवसायों को इस बात की अनुमति देता है कि वे अपनी कर योग्य आय पर छूट ले सकते हैं। यह कर छूट नए कर्मचारियों को भर्ती करने की लागत का 30% तक हो सकती है। एक्ट में अपेक्षा की गई है कि कर्मचारियों को पिछले वर्ष न्यूनतम 240 दिन के लिए इंप्लॉयड होना चाहिए। बिल में एपेरेल (वस्त्र) मैन्यूफैक्चर करने वाले व्यवसायों के लिए इस सीमा को 150 दिन कर दिया गया है।

कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975

- **मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक और स्लैब पर कस्टम ड्यूटी :** वर्तमान में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले ग्रेनाइट और मार्बल के आयात पर 10% की दर से कस्टम ड्यूटी चुकानी होती है। बिल में इसे बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अरविंद गयम
aravind@prsindia.org

10 अगस्त, 2016